आकार IAS

Shaping Your Dreams

भारतीय राजव्यवस्था

प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण

160/4, A B Road, Pipliya Rao, Near Vishnupuri I-Bus Stop, Indore (MP)
mail.: aakarias2014@gmail.com, web.: www.aakarias.com
Call.: 9713300123, 6262856797, 6262856798

विषय सूची

क्रमांक	अध्याय	पृष्ठ संख्या
01	भारतीय संविधान का निर्माण	01 – 06
02	राष्ट्रीय प्रतीक	07 – 08
03	भारतीय संविधान के स्रोत	09 – 10
04	भारतीय संविधान के विभिन्न भाग तथा विषय	11
05	संविधान की अनुसूचियां	12 – 13
06	भारतीय संविधान संशोधन	14 – 25
07	भारतीय संविधान की प्रस्तावना	26 – 27
08	संघ एवं उसका राज्यक्षेत्र	28 – 29
09	भारत का एकीकरण	30 – 36
10	नागरिकता	37 – 41
11	मूल अधिकार (अनुच्छेद 12-35)	42 – 57
12	राज्य की नीति के निदेशक तत्व (अनुच्छेद 36-51)	58 – 61
13	मूल कर्तव्य [अनुच्छेद 51(क)]	62
15	संघ (अनुच्छेद 52-151)	63
16	भारत का राष्ट्रपति	64 – 76
17	भारत का उप-राष्ट्रपति	77 – 79
18	प्रधानमंत्री एवं उप-प्रधानमंत्री	80 – 85
19	संघीय मंत्रिपरिषद्	86 – 87
20	भारत का महान्यायवादी	88 – 89
21	संसद	90 – 127
22	न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय)	128 – 136
23	राज्य	137
24	राज्यपाल	138 – 144
25	मुख्यमंत्री	145 – 149
26	राज्य मंत्रिपरिषद्	150 – 151
27	राज्य का महाधिवक्ता	152
27	राज्य विधानमण्डल	153 – 162
28	उच्च न्यायालय	163 – 170
30	संघ राज्य क्षेत्र और उसका प्रशासन	171
31	भारत में पंचायती राज, नगरीय शासन एवं सहकारी समितियां	172 – 181
33	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन	182
34	केन्द्र-राज्य संबंध	183 – 192
35	अपात उपबंध	193 – 197
36	राजभाषा	198 – 199

इकाई-10

राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक/सांविधिक संस्थाएं

क्रमांक	अध्याय	पृष्ठ संख्या
01	संघ लोक सेवा आयोग	200 – 201
02	राज्य लोक सेवा आयोग	202
03	संयुक्त लोक सेवा आयोग	203
04	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक	204 – 205
05	लेखा महानियंत्रक	206
06	मध्य प्रदेश में महालेखाकार	205
07	भारत निर्वाचन आयोग	207 – 209
08	भारत का परिसीमन आयोग	210
09	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	211
11	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	212 – 213
12	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग	214 – 215
13	प्रशासनिक अधिकरण	216 – 217
14	राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण	218 – 2219
15	केन्द्रीय सूचना आयोग	220 – 221
16	राज्य सूचना आयोग	222 – 224
17	नीति आयोग	225 – 226
18	केन्द्रीय सतर्कता आयोग	227 – 228
19	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरा	229
20	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	230
21	राष्ट्रीय महिला आयोग	231
22	मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग	232
23	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	233 – 235
24	राज्य मानव अधिकार आयोग	236
25	राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग	237 – 238
26	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग	239 – 241
27	राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	241
28	मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग	242
29	भारत का खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण	243

भारतीय संविधान का निर्माण
Making of the Constitution of India

किसी भी देश का संविधान एक दिन की उपज नहीं, अपितु ऐतिहासिक विकास का परिणाम होता है। भारतीय संविधान भी किसी संयोग की उत्पत्ति नहीं है, बल्कि इसकी रचना एक संविधान निर्मात्री सभा द्वारा **02 वर्ष 11 माह 18 दिन** के विचार-विमर्श के उपरान्त की गई और इसे **26 नवम्बर, 1949 ई.** को **अंगीकृत** कर **26 जनवरी, 1950 ई.** को **लागू** किया गया।

यहां उल्लेखनीय है कि इंग्लैण्ड के विपरीत भारत का संविधान निर्मित एवं लिखित संविधान है। इंग्लैण्ड की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था शताब्दियों के विकास का परिणाम है, जो मूलत: परम्पराओं पर आधारित है। विश्व के आधुनिक संविधानों में **अमेरिका पहला देश** है, जिसने 1776 ई. में फिलाडेल्फिया में आयोजित एक सम्मेलन में अपना **लिखित संविधान** की रचना की गई थी और उसे 1789 ई. में लागू किया।

❐ भारतीय संविधान की मांग (Dimand for the Constitution of India)

1885 ई. में कांग्रेस के गठन के बाद भारत की स्वतंत्रता की मांग में ही संविधान बनाने की मांग भी छिपी हुई थी। संविधान सभा के गठन की प्रथम अभिव्यक्ति 1895 ई. में **लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक** के निर्देशन में तैयार किए गए **स्वराज विधेयक** में मिलती है। **1922 ई.** में **महात्मा गांधी** ने यह विचार व्यक्त किया कि "भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा।"

1924 ई. में **मोतीलाल नेहरू** द्वारा ब्रिटिश सरकार से भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की गई। इसके पश्चात् **औपचारिक रूप से संविधान सभा का प्रतिपादन** साम्यवादी नेता **एम. एन. राय** द्वारा किया गया, जिसे **1934 ई.** में **जवाहरलाल नेहरू** ने मूर्तरूप प्रदान किया। नेहरू के ही प्रयासों से **1935 ई.** में भारतीय राष्ट्रीय **कांग्रेस ने पहली बार** भारत के संविधान के निर्माण हेतु आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की, जिसके परिणामस्वरूप **दिसम्बर, 1936 ई.** में **कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन** में **संविधान सभा के अर्थ** एवं **महत्व की व्याख्या** की गई। इसके बाद 1937 ई. तथा 1938 ई. के अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग को दोहराया गया।

कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार उपेक्षा की जाती रही। इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध की आवश्यकताओं एवं अन्तर्राष्ट्रीय दबाव के चलते ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसे 1940 ई. के **अगस्त प्रस्ताव** के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव की इस असफलता के बाद ब्रिटिश सरकार ने **कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स** को एक नए प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत भेजा। **क्रिप्स मिशन योजना** के अन्तर्गत ब्रिटिश सरकार ने आश्वासन दिया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा होगी, जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद भारत का संविधान तैयार करेगी। किन्तु मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकर कर दिया।

क्रिप्स मिशन की असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मार्च, 1946 ई. में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री **क्लीमेंट एटली (लेबर पार्टी)** द्वारा ब्रिटिश मंत्रीमण्डल के 3 सदस्यों (**लॉर्ड पेथिक लॉरेन्स** - अध्यक्ष, **सर स्टैफोर्ड क्रिप्स** एवं **ए. बी. एलेक्जेंडर**) को भारत भेजा। इसे कैबिनेट मिशन कहा गया, जिसने अन्तत: भारतीय संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त किया।

❐ संविधान सभा के गठन के संबंध में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव (Proposal of Cabinet Mission)

कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के अनुसार भारतीय संविधान सभा का गठन निम्नानुसार होना था -

1) संविधान सभा के सदस्यों की **कुल संख्या 389** निश्चित की गई, जिनमें से **296 ब्रिटिश प्रांतों** के प्रतिनिधि तथा **93 देशी रियासतों** के प्रतिनिधि होंगे।

2) प्रत्येक प्रांत व देशी रियासतों को उनकी **जनसंख्या के अनुपात में सीटें** आवंटित की जाएंगी। सामान्यत: प्रत्येक **10 लाख लोगों पर 1 सीट** आवंटित की जानी थी।

3) प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को दी गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था, जो निम्नलिखित हैं - **213 सामान्य, 79 मुसलमान तथा 4 सिक्ख** (कुल 296)।

4) प्रत्येक समुदायों के प्रतिनिधियों का चुनाव **स्टेट असेम्बली में उस समुदायों के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत** (Single Transferable Vote) के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाना था।

5) देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन चुनाव द्वारा नहीं, बल्कि रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था।

6) कैबिनेट मिशन द्वारा त्रि-स्तरीय संविधान की कल्पना की गई - प्रांतीय संविधान, विभिन्न प्रांतों से बने संवर्ग के लिए संविधान तथा भारत संघ का संविधान। इसके लिए कहा गया कि संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक के बाद सदस्य स्वयं को **3 समूहों** में बांट लेंगे - पहले समूह में **हिन्दू बहुमत वाले प्रांतों** (बम्बई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा एवं मद्रास) के प्रतिनिधि होंगे, दूसरे समूह में **मुस्लिम बहुमत वाले उत्तर-पश्चिम प्रांतों** (सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत व पंजाब) के प्रतिनिधि होंगे तथा तीसरे में **मुस्लिम बहुमत वाले उत्तर-पूर्वी प्रांतों** (बंगाल व असम) के प्रतिनिधि होंगे। इन तीनों संवर्गों में आने वाले प्रांत अपने-अपने प्रांत तथा संवर्ग के लिए संविधान का निर्माण करेंगे, बाद में संघीय संविधान का निर्माण किया जाएगा।

7) इसके अलावा कैबिनेट मिशन का एक और प्रस्ताव था, जिसमें कहा गया कि भारत के शासन को संचालित करने के लिए एक **अन्तरिम सरकार** का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें **सभी दलों के सदस्य** हो।

❐ कैबिनेट मिशन का क्रियान्वयन एवं भारतीय संविधान सभा का गठन

कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया गया था। अत: मुस्लिम लीग द्वारा इस योजना का विरोध किया गया, जबकि कांग्रेस ने इसका समर्थन किया था। विभिन्न आलोचनाओं व मतभेदों के बावजूद **6 जून, 1946 ई.** को **मुस्लिम लीग** एवं **25 जून, 1946** को **कांग्रेस** ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। **जुलाई, 1946 ई.** में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार **संविधान सभा का चुनाव** हुआ।

संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या **389** निर्धारित की गई थी, जिनमें से **292** प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के **11 प्रांतों** से, **04 चीफ कमीश्नरी प्रांतों (दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग व ब्रिटिश बलुचिस्तान)** से एवं 93 प्रतिनिधि देशी रियासतों से चुने जाने थे।

जुलाई-अगस्त, 1946 ई. में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 (292 + 4 कमीश्नरी) स्थानों के लिए चुनाव सम्पन्न हुए। कांग्रेस ने 210 स्थानों पर अपने प्रतिनिधि खड़े किए थे, जिसमें से 199 स्थानों पर उसे विजय प्राप्त हुई। साथ ही 09 स्थानों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को सफलता मिली, इस प्रकार **कांग्रेस** को कुल 296 में से **208 सीटें** प्राप्त हुई। **मुस्लिम लीग** को **73** सीटें प्राप्त हुई। **संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य निर्वाचित हुई।** 01-01 सीट यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम, यूनियनिस्ट शिड्यूल कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी, सिख (कांग्रेस के अतिरिक्त), साम्यवादी एवं अछूत जाति संघ को मिली। 08 स्थानों पर निर्दलीय प्रत्याशी निर्वाचित हुए।

संविधान सभा चुनाव, 1946

दल	प्राप्त सीटें
कांग्रेस	208
मुस्लिम लीग	73
यूनियनिस्ट पार्टी	1
यूनियनिस्ट मुस्लिम	1
यूनियनिस्ट शिड्यूल कास्ट	1
कृषक प्रजा पार्टी	1
सिख (कांग्रेस के अतिरिक्त)	1
साम्यवादी	1
अछूत जाति संघ	1
निर्दलीय	8
कुल	**296**

उल्लेखनीय है कि संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी, जिसमें **फ्रैंक ऐंथनी ने एंग्लो-इण्डियन समुदाय** का तथा **पी. एच. मोदी ने पारसी समुदाय** का प्रतिनिधित्व किया था। इस चुनाव में डॉ. भीमराव अम्बेडकर पहली बार पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, किन्तु भारत-पाक विभाजन के पश्चात् यह भाग पाकिस्तान में चला गया। इसके बाद डॉ. अम्बेडकर को संविधान सभा में शामिल करने के लिए **मुम्बई प्रेसीडेंसी की पूना संसदीय सीट** से कांग्रेस के **एम. आर. जयकर से त्यागपत्र** दिलाया गया, जहां उप-चुनाव में निर्वाचित होकर डॉ. अम्बेडकर पुन: संविधान सभा में सम्मिलित हुए। **महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण** एवं **मोहम्मद अली जिन्ना** ऐसे प्रमुख राष्ट्रीय नेता थे, जो **संविधान सभा के सदस्य नहीं** थे।

संविधान सभा के लिए सम्पन्न हुए चुनाव में मुस्लिम लीग की स्थिति कमजोर हो गई, अत: मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार करने का निर्णय लिया तथा पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा के गठन की मांग की।

यहां उल्लेखनीय है कि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें नहीं भर पाई, क्योंकि उन्होंने स्वयं को सविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था।

इसी बीच चुनाव परिणामों के पश्चात् 2 सितम्बर, 1946 ई. को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अन्तरिम सरकार का गठन किया गया। इस सरकार ने मुस्लिम लीग के नेता शामिल नहीं हुए, किन्तु बाद में 26 अक्टूबर, 1946 ई. को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल करते हुए अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया गया।

अन्तरिम सरकार

जवाहरलाल नेहरू	कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेश मामले तथा राष्ट्रमण्डल
बल्लभभाई पटेल	गृह, सूचना तथा प्रसारण
बलदेव सिंह	रक्षा
जान मथाई	उद्योग तथा आपूर्ति
सी. राजगोपालाचारी	शिक्षा
सी. एच. भाभा	कार्य, खान तथा बन्दरगाह
राजेन्द्र प्रसाद	खाद्य तथा कृषि
आसफ अली	रेलवे
जगजीवन राम	श्रम
लियाकत अली खां	वित्त (मुस्लिम लीग)
आई. आई. चुन्दरीगर	वाणिज्य (मुस्लिम लीग)
अब्दुल रब नश्तर	संचार (मुस्लिम लीग)
जोगेन्द्रनाथ मण्डल	विधि (मुस्लिम लीग)
गजनफर अली खां	स्वास्थ्य (मुस्लिम लीग)

❐ संविधान सभा की बैठक (Working of the Constituent Assembly)

9 दिसम्बर, 1946 ई. को संविधान सभा की **प्रथम बैठक नई दिल्ली** स्थित **कॉन्सिल चेम्बर के पुस्तकालय भवन** में हुई, जिसे अब संसद भवन का केन्द्रीय कक्ष कहा जाता है। इस बैठक में **207 सदस्यों** ने भाग लिया, क्योंकि **मुस्लिम लीग** ने स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग उठाते हुए इस बैठक का **बहिष्कार** किया, जबकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से पहले ही इनकार कर दिया था। इसी दिन संविधान सभा ने **सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानन्द सिंहा** को सभा का **अस्थायी अध्यक्ष** और **एच. सी. मुखर्जी** व **वी. टी. कृष्णामचारी** को **उपाध्यक्ष** चुना गया। **11 दिसम्बर 1946 ई.** को **डॉ. राजेन्द्र प्रसाद** को सर्वसम्मति से विधिवत संविधान सभा के **स्थायी अध्यक्ष** तथा **बेनेगल नरसिंह राव** को **संवैधानिक सलाहकार** नियुक्त किया गया। संविधान सभा के **प्रथम वक्ता डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्ण** थे। संविधान सभा की बढ़ती महत्ता व स्वीकृति के कारण धीरे-धीरे देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होने लगे।

28 अप्रैल, 1947 ई. को 6 देशी रियासतों - बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटीयाला, रीवा एवं उदयपुर के प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य बन चुके थे। आगे चलकर **3 जून, 1947 ई.** को **माउन्ट बेटेन** ने भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसके पश्चात् अधिकांश देशी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल हो गए। भारतीय हिस्से के मुस्लिम लीग के सदस्य भी संविधान सभा में शामिल हो गए। माउन्ट बेटेन योजना का कानूनी रूप देने के उद्देश्य से 18 जुलाई, 1947 ई. को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम द्वारा भारत-पाकिस्तान दो राष्ट्रों का जन्म हुआ।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ने संविधान सभा की संरचना एवं स्थिति में व्यापक परिवर्तन किया, जो निम्नलिखित हैं -

1) संविधान सभा अब पूरी तरह सम्प्रभू निकाय बन गई थी, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने संविधान सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने या बदलने का अधिकार दे दिया।

2) अब संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद, अर्थात् - विधायिका भी बन गई थी। दूसरे शब्दों में संविधान सभा को दो अलग-अलग कार्य सौंपे गए - पहला, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा, देश के लिए कानून बनाना। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती, तो इसकी अध्यक्षता डॉ. राजेन्द्र प्रसाद करते और जब बैठक विधायिका के रूप में होती, तो इसकी अध्यक्षता जी. वी. मावलंकर करते थे (संविधान सभा की विधायिका के रूप में पहली बैठक 17 नवम्बर, 1947 ई. को हुई)। इस प्रकार 24 जनवरी, 1950 ई. तक सभा दोनों रूपों में काम करती रही, किन्तु 26 जनवरी, 1950 ई. के बाद संविधान सभा के तौर पर इसका कार्य समाप्त हो गया और नई संसद के निर्वाचन (1952 ई.) तक यह सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही।

3) मुस्लिम लीग (पाकिस्तान) के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। देश विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 की बजाए 299 ही रह गई। भारतीय प्रांतों की संख्या 296 से 229 और देसी रियासतों की संख्या 93 से 70 हो गई। **31 दिसम्बर, 1947 ई.** को राज्यवार सदस्य संख्या निम्नलिखित है - (कुल सदस्य संख्या **299**)

भारतीय प्रांत	सदस्यों की संख्या
संयुक्त प्रांत	55
मद्रास	49
बिहार	36
बम्बई	21
पश्चिम बंगाल	19
मध्य प्रांत एवं बरार	17
पूर्वी पंजाब	12
उड़ीसा	09
असम	08
दिल्ली	01
अजमेर-मेरवाड़ा	01
कुर्ग	01

देसी रियासत	सदस्यों की संख्या
अलवर	01
बड़ौदा	03
भोपाल	01
बीकानेर	01
कोचीन	01
ग्वालियर	04
इंदौर	01
जयपुर	03
जोधपुर	02
कोल्हापुर	01
कोटा	01
मयूरभंज	01
मैसूर	07
पटियाला	02
रीवा	02
त्रावणकोर	02

देसी रियासत	सदस्यों की संख्या
उदयपुर	02
सिक्किम एवं बरार कूर्ग समूह	01
त्रिपुरा, मणिपुर एवं खासी राज्य समूह	01
उत्तर प्रदेश राज्य समूह	01
पूर्वी राज्य समूह	03
मध्य भारत राज्य समूह (बुंदेलखण्ड एवं मालवा)	03
पश्चिम भारत राज्य समूह	04
गुजरात राज्य समूह	02
दक्कन एवं मद्रास राज्य समूह	02
पंजाब राज्य समूह	03
पूर्वी राज्य समूह-I	04
पूर्वी राज्य समूह-II	03
शेष राज्य समूह	04

❐ संविधान का निर्माण
(Making of the Constitution)

संविधान सभा की कार्यवाही **जवाहरलाल नेहरू** द्वारा **13 दिसम्बर, 1946 ई.** को प्रस्तुत **उद्देश्य प्रस्ताव** (Objective Resolution) के साथ प्रारंभ हुई। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा **22 जनवरी, 1946 ई.** को स्वीकृति मिली। यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की **प्रस्तावना** (Preamble) का आधार बना।

उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किए जाने के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण की कार्यवाही को प्रारंभ किया। चूंकि संविधान निर्माण एक जटिल कार्य था और इसे अकेले संविधान सभा में बहस करके नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए संविधान सभा द्वारा कई समितियों का गठन किया गया। इन समितियों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है -

1) **प्रक्रिया संबंधी समितियां** - ये समितियां संविधान प्रक्रिया के प्रश्नों को हल करने के लिए गठित की गई थीं। इन समितियों में प्रक्रिया नियम समिति, अधिकार समिति, सभा समिति, परिचालन समिति, हिन्दू व उर्दू अनुवाद समिति आदि प्रमुख थीं।

संविधान निर्माता समिति एवं उनके अध्यक्ष

समिति	अध्यक्ष
प्रारूप समिति	डॉ. भीमराव अम्बेडकर
संघीय संविधान समिति	जवाहरलाल नेहरू
संघ शक्ति समिति	जवाहरलाल नेहरू
राज्य समिति	जवाहरलाल नेहरू
प्रांतीय संविधान समिति	बल्लभभाई पटेल
मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति	बल्लभभाई पटेल
मूल अधिकार उपसमिति	जे. बी. कृपलानी
अल्पसंख्यक उपसमिति	एच. सी. मुखर्जी
प्रक्रिया नियम समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
झण्डा समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
देशी रियासत समझौता समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
संचालन समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
कार्य संचालन समिति	डॉ. के. एम. मुंशी
सर्वोच्च न्यायालय समिति	एस. वारदाचारियार

2) **विषय सम्बधी समितियां** – ये समितियां संविधान निर्माण करने वाली समितियां थीं। इन समितियों में मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, संविधान प्रारूप समिति, राष्ट्रीय ध्वज समिति, परामर्श समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, रियासत समझौता समिति, अल्पसंख्यक समिति आदि महत्वपूर्ण थीं।

प्रारूप समिति

1) **डॉ. भीमराव अम्बेडकर**
2) **एन. गोपाल स्वामी आयंगर**
3) **के. एम. मुंशी**
4) **अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर**
5) **सैयद मो. सादुल्ला**
6) **बी. एल. मित्र** (थोड़े समय बाद हट गए और इनके स्थान पर **एन. माधव राव** सदस्य बने)
7) **डी. पी. खेतान** (इनकी आकस्मिक मृत्यु होने के कारण **टी. टी. कृष्णमाचारी** को सदस्य बनाया गया)

संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की परामर्श समिति ने सर्वप्रथम 17 मार्च, 1947 ई. को केन्द्रीय एवं प्रांतीय विधानमण्डल के सदस्यों को प्रस्तावित संविधान की मुख्य विशेषताओं के सम्बन्ध में उनके विचारों को जानने के लिए एक प्रश्नावली भेजी और संविधान सभा के सदस्यों को संवैधानिक पूर्व दृष्टांत के नाम से विश्व के विभन्न देशों के पूर्व दृष्टांत तीन प्रतियों में प्रदान किए। इसमें लगभग 60 देशों के संविधानों के मुख्य अंशों को अंकित किया गया था।

केन्द्रीय एवं प्रांतीय विधानमण्डल के सदस्यों द्वारा प्रश्नावली में शामिल प्रश्नों के भेजे गए उत्तर के आधार पर परामर्श समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट के आधार पर संवैधानिक सलाहकार बी. एन. राव द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया।

बी. एन. राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर विचार-विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा **29 अगस्त, 1947 ई.** को एक संकल्प पारित करके **प्रारूप समिति** का गठन किया गया। सभी समितियों में समिति प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। इस समिति में 7 सदस्य थे तथा डॉ. भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार करने के पश्चात् **21 फरवरी, 1948 ई.** को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें कुल **315 अनुच्छेद** तथा **8 अनुसूचियां** थीं। संविधान सभा द्वारा इस प्रारूप पर 03 वाचन में विचार-विमर्श हुए –

1) **प्रथम वाचन** – 4 नवम्बर, 1948 ई. को प्रारंभ हुआ, जो 9 नवम्बर, 1948 ई. तक चला।
2) **द्वितीय वाचन** – 15 नवम्बर, 1948 ई. से 17 अक्टूबर, 1949 ई. तक चला तथा संविधान के प्रारूप पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ। 4 नवम्बर, 1948 ई. को डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का अन्तिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया।
3) **तृतीय वाचन** – 14 नवम्बर, 1949 ई. से 26 नवम्बर, 1949 ई. तक चला। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने 'द कॉन्सटिट्यूशन ऐज सैटल्ड बाई द असेंबली बी पास्ड' प्रस्ताव पेश किया। इस दिन संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से **284** सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिनमें **महिला सदस्यों** की संख्या **08** थीं। इनमें श्रीमती सरोजनी नायडू, हंसा मेहता एवं दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थीं। इस प्रकार संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले **प्रथम** व्यक्ति **जवाहरलाल नेहरू** एवं **अंतिम** व्यक्ति **फिरोज गांधी** थे।

संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल **2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन** का समय लगा और इस दौरान कुल **11 अधिवेशन** हुए। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन **26 नवम्बर, 1949 ई.** को संविधान को **अंगीकृत** किया गया, इसलिए **26 नवम्बर** को **विधि दिवस** के रूप में मनाया जाता है। इस समय संविधान में कुल **22 भाग**, **395 अनुच्छेद** तथा **8 अनुसूचियां** थीं। संविधान निर्माताओं ने लगभग **60 देशों** के संविधानों का अवलोकन किया तथा इसके निर्माण पर कुल **64 लाख रुपए** खर्च हुए। **24 जनवरी, 1950 ई.** को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसी दिन सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए। इसके बाद संविधान सभा ने **26 जनवरी, 1950** ई. से नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया।

संविधान सभा ने ही 24 जनवरी, 1950 ई. को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। उल्लेखनीय है कि 26 नवम्बर, 1949 ई. को संविधान के **15 अनुच्छेदों** (5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 एवं 393) को तत्समय ही लागू कर दिया गया तथा शेष भाग को **26 जनवरी, 1950 ई.** को **लागू** किया गया।

❐ संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य

◆ कांग्रेसी सदस्य

जवाहरलाल नेहरू, बल्लभभाई पटेल, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, आचार्य जे. बी. कृपलानी, पंडित गोविन्दवल्लभ पंत, पुरुषोत्तमदास टंडन, के. एम. मुंशी, टी. टी. कृष्णामाचारी, बालगोविन्द खरे, अब्दुल गफ्फार खां।

◆ गैर-कांग्रेसी सदस्य

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, एन. गोपालस्वामी आयंगर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, टेकचंद बख्शी, प्रो. के. टी. शाह, डॉ. भीमराव अम्बेडकर, डॉ. जयकर।

◆ महिला सदस्य

उत्तर प्रदेश – सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाज़ रसूल, **मद्रास** – अम्मू स्वामीनाथन, दुर्गाबाई देशमुख, दक्षयानी बेलायुदन, **पश्चिम बंगाल** – लीला राय, रेणुका राय, **ट्रावनकोर** – एनी मस्केरीनी, **बम्बई** – हंसा मेहता, **उड़ीसा** – मालती चौधरी, **मध्य प्रांत** – राजकुमारी अमृता कौर एवं **बिहार** – सरोजिनी नायडू।

महत्वपूर्ण तथ्य

- हैदराबाद एकमात्र ऐसी देशी रियासत थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं थी।
- संविधान सभा द्वारा **हाथी** के प्रतीक को मुहर के रूप में अपनाया गया था।
- **एच. वी. आर. आयंगर** को संविधान सभा का **सचिव** नियुक्त किया गया था।
- **एल. एन. मुखर्जी** को संविधान सभा का **मुख्य प्रारूपकार** (Chif Draftsman) नियुक्त किया गया था।
- **प्रेम बिहारी रायजादा** भारतीय संविधान के प्रमुख **सुलेखक** (Calligrapher) थे। मूल संविधान को **इटैलिक शैली** में उनके द्वारा हस्त लिखित किया गया।
- मूल संस्कर का **सौन्दर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन** के कलाकारों ने किया, जिनमें **नन्दलाल बोस** और **बिउहर राममनोहर सिंहा** शामिल थे।
- मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्त लिखित एवं बिउहर रामनोहर सिंहा द्वारा ज्यातिमय, सौन्दर्यीकरण एवं अलंकृत किया गया।
- मूल संविधान के हिन्दी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिसे नन्दलाल बोस ने सुन्दर ढंग से अलंकृत एवं ज्यातिमय किया गया।
- संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल **11 अधिवेशन** हुए थे।
- संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारूप पर कुल **114 दिनों** तक विचार किया गया।
- 17 अप्रैल, 1952 को अंतरिम संसद का अस्तीत्व समाप्त हो गया था। पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों में 7 मई, 1952 में अस्तित्व में आई।

राष्ट्रीय प्रतीक
National Symbol

◆ राष्ट्रीय ध्वज (National Flag)

राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान सभा ने **22 जुलाई, 1947 ई.** को इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज में समान अनुपात में सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफेद एवं नीचे हरे रंग की तीन क्षैतिज पट्टियां हैं। ध्वज की लम्बाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्रमश **3:2** है। तिरंगे की सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र बना है, जिसमें **24 तीलियां** हैं। इस चक्र को **सारनाथ** में स्थित **अशोक स्तम्भ** (सिंह स्तम्भ) से लिया गया है। ध्वज में केसरिया रंग त्याग व बलिदान, सफेद रंग सत्य और शांति का एवं हरा रंग देश की समृद्धि एवं उर्वता है। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण **पिंगालि वैंकेया** द्वारा किया गया।

उल्लेखनीय है कि **22 अगस्त, 1907 ई.** में सर्वप्रथम **जर्मनी** के **स्टुटगार्ट** में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के सम्मेलन में मैडम **भीका जी कामा** ने इसी ध्वज को कुछ परिवर्तित करके फैराया था।

◆ राष्ट्रीय चिह्न (National Emblem)

भारत का राष्ट्रीय चिह्न सारनाथ स्थित **सिंह स्तम्भ** की अनुकृति है। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय चिह्न के रूप में **26 जनवरी, 1950** को अपनाया। मूल स्तम्भ में शीर्ष पर **चार सिंह** हैं, जो एक-दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। सिंह, **साहस** व **निर्भीकता** का प्रतीक है। पट्टी के मध्य में **धर्मचक्र** है, जिसमें **24 तिलियां** हैं, जो 24 घण्टों का प्रतीक है। चक्र के **दायीं ओर एक सांड़** है, जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। चक्र के **बायीं ओर एक घोड़ा** है, जो अदम्य, शक्ति, परिश्रम व गतिशीलता का प्रतीक है। फलक के नीचे **मुण्डकोपनिषद्** का सूत्रवाक्य **सत्यमेव जयते** देवनागरी लिपि में अंकित है।

◆ राष्ट्रगान (National Anthoem)

रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूलरूप से बांग्ला भाषा में रचित **जन... मन... गण...** के हिन्दी संस्करण को संविधान सभा ने **24 जनवरी, 1950 ई.** को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह सर्वप्रथम **27 दिसम्बर, 1911** ई. को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के **कलकत्ता अधिवेशन** में गाया गया था। पूरे गीत में **5 पद** है तथा गायन की अवधि लगभग **52 सेकण्ड** है। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश की राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला की रचना भी रवीन्द्रनाथ टैगोर ने ही की थी।

◆ राष्ट्रीय गीत (National Song)

बंकिमचन्द्र चटर्जी ने संस्कृत में **वंदे मातरम्** गीत की रचना की। यह गीत पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के **कलकत्ता अधिवेशन** में गाया गया था। इसे 24 जनवरी, 1950 ई. को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। यह गीत बांग्ला भाषा में लिखित **आनन्दमठ** नामक उपन्यास से लिया गया है। इस गीत की **धुन पन्नालाल घोष** ने तैयार की थी।

◆ राष्ट्रीय पशु (National Animal)

बाघ (Panthera Tigris) भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसकी 08 प्रजातियों में से भारत में पाई जाने वाली प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से चुना गया। इसको अपनी शालिनता, दृढ़ता, फुर्ती एवं अपार शक्ति के कारण राष्ट्रीय पशु का गौरव प्राप्त हुआ। इसे 1972 ई. में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इसके पहले तक भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए 1 अप्रैल, 1973 ई. से भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। उल्लेखनीय है कि बाघ बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय पशु है।

◆ राष्ट्रीय पक्षी (National Bird)

भारतीय मयूर (Pavo Cristatus) भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसे 26 जनवरी, 1963 ई. को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। भारतीय वन एवं वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम के अन्तर्गत मयूर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि म्यान्मार भी मयूर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर चुका है।

◆ राष्ट्रीय पुष्प (National Flower)

कमल (Nelumbo Nucifera) भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यह पवित्रता, उपलब्धि, लम्बे जीवन और अच्छे भाग्य का प्रतीक है। हरियाणा, जम्मू-कश्मीर एवं कर्नाटक राज्य पुष्प भी कमल ही है। इसके अलवा कमल वियतनाम, मकाऊ एवं मिस्र का भी राष्ट्रीय पुष्प है।

- **राष्ट्रीय वृक्षा (National Tree)**

बरगद (Ficus Benghalensis) भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है।

- **राष्ट्रीय फल (National Furit)**

आम (Mangifera Indiaca) भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत में पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी स्थलों पर पैदा होता है। इसे फलों का राजा माना जाता है। आम को पाकिस्तान एवं फिलीपींस में भी राष्ट्रीय फल माना जाता है, जबकि आम का पेड़ बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष है।

- **राष्ट्रीय पंचांग (National Colendar)**

भारतीय राष्ट्रीय पंचांग भारत के उपयोग में आना वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है। यह शक संवत् पर आधारित है। इसे ग्रिगेरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च, 1957 ई. को अपनाया गया। इसका पहला महीना चैत्र है और अंतिम महीना फाल्गुन है। सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। चैत्र का पहला दिन सामान्यत: 22 मार्च को और अधिवर्ष 21 मार्च को पड़ता है।

- **राष्ट्रीय नदी (National River)**

भारत द्वारा 4 नवम्बर, 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। यह नदी गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है और लगभग 2525 किमी लम्बी है।

- **राष्ट्रीय जलीय जीव (National Aquatic Animal)**

मीठे पानी की डॉल्फिन (Platanista Gangetica) भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने गंगा डॉल्फिन को 18 मई, 2010 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन दृष्टिहीन होती है।

- **राष्ट्रीय विरासत पशु (National Heritage Animal)**

21 अक्टूबर, 2010 को भारत सरकार ने एशियाई हाथी (Elephanta Indica) को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया। सरकार ने वन्य क्षेत्रों में रहने वाले हाथियों के संरक्षण के लिए फरवरी, 1992 में हाथी परियोजना शुरू की है। हाथी चार राज्यों केरल, कर्नाटक, झारखण्ड एवं उड़ीसा का भी राजकीय पशु है।

- **राष्ट्रीय मुद्रा : प्रतीक चिह्न (National Mony : Symbol)**

भारतीय रुपए को 15 जुलाई, 2010 को अन्य विदेशी मुद्रा की तरह नया प्रतीक चिह्न मिल गया। रुपए का नया प्रतीक देवनागरी लिपि के 'र' और रोमन लिपि के 'R' को मिलाकर 'र' बनाया गया है। इस प्रतीक के डी. उदय कुमार है।

भारतीय संविधान के स्रोत
Sources of Indian Constitution

भारत शासन अधिनियम, 1935	- संघीय व्यवस्था (Federal System) - राज्यपाल का कार्यालय (Governor's Office) - न्यायपालिका का ढांचा (Structure of the Judiciary) - लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) - आपातकालीन उपबंध (Emergency Provisions) - शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां (Three Lists for Distribution of Powers)
ब्रिटेन का संविधान	- संसदीय व्यवस्था (Parliamentary System) - राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाममात्र का महत्व (Symbolic or Nominal Importance of the Head of State) - विधायी प्रक्रिया (Legislative Process) - एकल नागरिकता (Single Citizenship) - मंत्रिमण्डल प्रणाली (Cabinet System) - परमाधिकार रिटे (Prerogative Writs) - संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges) - द्विसदनवाद (Bicameralism)
अमेरिका का संविधान	- मूल अधिकार (Fundamental Rights) - न्यायपालिका की स्वतंत्रता (Indepenence of Judiciary) - न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का सिद्धान्त (The Principle of Judicial Review) - उप-राष्ट्रपति का पद (The Post of Vice-Persident) - उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग (Removal of the Judges of Supreme Court and High Courts and Impeachment of the President)
आयरलैण्ड का संविधान	- राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त (Directive Principles of State Policy) - राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति (Method of President's Election) - राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन (Nomination of Members to the Council of States)
कनाडा का संविधान	- सशक्त केन्द्र के साथ संघीय व्यवस्था (Federal System With a Powerfull Centre) - अवशिष्ट शक्तियों का केन्द्र निहित होना (Vesting of Residuary Powers in the Centre) - केन्द्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति (Appointment of State's Governors by the Centre) - उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय-निर्णयन (Advisory Jurisdiction of the Supreme Court)

ऑस्ट्रेलिया का संविधान	- समवर्ती सूची (Concurrent List) - व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता (Freedom of Trade, Commerce and Intercourse) - संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting of both Houses of Parliament)
जर्मनी का वाइमर संविधान	- आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन (Suspension of Fundamentals Rights During Emergency)
सोवियत संघ (भूतपूर्व) का संविधान	- मूल कर्तव्य (Fundamental Duties) - प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श (Ideal of Social, Economic and Politcal Justice in Preamble)
फ्रांस का संविधान	- गणतंत्रात्मक ढांचा (Republican Structure) - स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श (Ideals of Liberty, Equality and Fraternity)
दक्षिण अफ्रीका का संविधान	- संविधान में संशोधन की प्रक्रिया (Procedure of Amendment in the Constitution) - राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन (Election of the Members of Rajya Sabha)
जापान का संविधान	- विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure Established by Law)

भारतीय संविधान के विभिन्न भाग तथा विषय
Different Parts and Subject of Indian Constitution

भाग (PART)	विषय (SUBJECT)	अनुच्छेद (ARTICLES)
I	संघ व उसके राज्य क्षेत्र (The Union and its Territory)	1 - 4
II	नागरिकता (Citizenship)	5 - 11
III	मूल अधिकार (Fundamental Rights)	12 - 35
IV	राज्य की नीति के निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy)	36 - 51
IV-A	मूल कर्त्तव्य (Fundamental Duties)	51 A
V	संघ (The Union)	52 - 151
VI	राज्य (The States)	152 - 237
VII	प्रथम अनुसूचि के भाग ख के राज्य	**निरसित (Repealed)**
VIII	संघ राज्य क्षेत्र (The Union Territories)	239 - 242
IX	पंचायतें (The Panchayats)	243 - 243 O
IX - A	नगर पालिकाएं (The Municipalities)	243 P - 243 Z G
IX - B	सहकारी समितियां (The Cooperative Societies)	243 Z H - 243 Z T
X	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र (The Schedules and Tribal Areas)	244 - 244 A
XI	संघ और राज्यों के बीच संबंध (Relations Between the Union and the States)	245 - 263
XII	वित्त, संपत्ति, संविदायें और वाद (Finance, Property, Contracts and Suits)	264 - 300 A
XIII	भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम (Trade, Commeree Intercourse within the Territory of India)	301 - 307
XIV	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं (Services under the Union and the States)	308 - 323
XIV - A	अधिकरण (Tribunals)	323 A - 323 B
XV	निर्वाचन (Elections)	324 - 329 A
XVI	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जानजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल-भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध (Special Provisions Relating to Schedules Castes, Sheduled Tribes, Backward Class and Anlo-Indians)	330 - 342
XVII	राजभाषा (Official Language)	343 - 351
XVIII	आपात् उपबंध (Emergency Provisions)	352 - 360
XIX	प्रकीर्ण (Miscelleneous)	361 - 367
XX	संविधान का संशोधन (Amendment of the constitution)	368
XXI	अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध (Temporary, Transitional and Special Provisions)	369 - 392
XXII	संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन (Short Title Commencement, Authoritative Text in Hindi and Repeals)	393 - 395

संविधान की अनुसूचियां
Schedules of the Constitution

क्रम (Sequenc)	विषय (Subject)	संबंद्ध अनुच्छेद (Related Articles)
प्रथम अनुसूची First Schedule	1) राज्यों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र। 2) संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं।	अनुच्छेद 1 तथा 4।
दूसरी अनुसूची Second Schedule	निम्नलिखित पदाधिकारियों के वेतन-भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान 1) भारत का राष्ट्रपति 2) राज्यों के राज्यपाल 3) लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 4) राज्यसभा के सभापति और उप-सभापति 5) राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 6) राज्य विधान-परिषदों के सभापति और उप-सभापति 7) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 8) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 9) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक	अनुच्छेद 59, 65, 75, 97, 125, 248, 158, 164, 186 एवं 221
तीसरी अनुसूची Third Schedule	इसमें निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। ये पदाधिकारी हैं - 1) संघ के मंत्री 2) संसद के चुनावों के प्रत्याशी 3) संसद के सदस्य 4) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 5) भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक 6) राज्यों के मंत्री 7) राज्य विधानमण्डल के चुनावों के प्रत्याशी 8) राज्य विधानमण्डल के सदस्य 9) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश	अनुच्छेद 75, 84, 99, 124, 148, 164, 173, 188 एवं 219
चौथी अनुसूची Fourth Schedule	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन।	अनुच्छेद 4 एवं 80
पांचवी अनुसूची Fifth Schedule	अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान	अनुच्छेद 244
छठी अनुसूची Sixth Schedule	असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध	अनुच्छेद 244 एवं 275
सातवीं अनुसूची Seventh Schedule	संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय। मूल संविधान में इन सूचियों में क्रमश: 97, 66 तथा 47 विषय थे; पर अब 100 (संघ सूची), 61 (राज्य सूची) तथा 52 (समवर्ती सूची) विषय हैं।	अनुच्छेद 246

क्रम (Sequenc)	विषय (Subject)	संबंद्ध अनुच्छेद (Related Articles)
आठवीं अनुसूची Eighth Schedule	संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची। वर्तमान में ये 22 भाषाएं हैं, जो मूल संविधान में 14 थीं। ये भाषाएं हैं – असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी, और नेपाली को 71वें संशोधन अधिनियम (1992) द्वारा और बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली को 92वें संशोधन अधिनियम (2003) द्वारा जोड़ा गया।	अनुच्छेद 344 एवं 351
नौवीं अनुसूची Ninth Schedule	इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम (1951) द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य यह था कि भूमि सुधारों तथा जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले अधिनियमों, नियमों, विनियमों आदि को न्यायालय के पुनर्विलोकन की शक्ति से बाहर किया जा सके। इसमें वर्तमान में 282 प्रविष्टियां हैं, जो कई संविधान संशोधनों द्वारा शामिल की गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 24 अप्रैल, 1973 (केशवानन्द भारती मामले के निर्णय की तिथि) के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियमों आदि की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।	अनुच्छेद 31(ख)
दसवीं अनुसूची Tenth Schedule	इसमें दल-बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों सदस्यों की निरर्हता से संबंधित उपबंध हैं। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा इसमें संशोधन भी किया गया है। इसे 'दल बदल विरोधी कानून' भी कहा जाता है।	अनुच्छेद 101 एवं 191
ग्यारहवीं अनुसूची Eleventh Schedule	इसमें पंचायतों की शक्तियां व जिम्मेदारियां बताई गई हैं। इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था।	अनुच्छेद 243(छ) Art. 243(G)
बारहवीं अनुसूची Twelth Schedule	इसमें नगरपालिकाओं की शक्तियां व जिम्मेदारियां बताई गई हैं। इसमें 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था।	अनुच्छेद 243(ब) Art. 243(W)